डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 जनवरी 2001—पौष 19, शक 1922

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2000

अधिसूचना

क्रमांक 33/27/परि. वि./2000.—राज्य शासन मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 63 उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उप परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ का सचिव नियुक्त करता है.

[illegible] के नाम से [illegible]

रेणु पिल्ले [illegible] सचिव.

Raipur, the 7th December 2000

NOTIFICATION

No. 33/27/TRANSPORT/2000. The State Government in exercise of the powers conferred by sub Rule (1) of Rule 63 of M. P. Motor Vehicle Rules 1994, hereby appoint Deputy Transport Commissioner as Secretary to the State Transport Authority Chhattisgarh.

By Order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

RENU PILLAY Deputy Secretary